तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/एल.आर./5356/2006/भरतपुर** **गोविन्दसिंह बनाम विष्णु**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ

श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–

(1) श्री शांतिप्रकाश औझा, अभिभाषक प्रार्थी।
(2) श्री जे.के. पारीक, अभिभाषक अप्रार्थी सं0 1 से 3 की ओर से
(3) श्री अजीत लोढ़ा, अभिभाषक अप्रार्थी सं0 4 की ओर से

निर्णय **दिनांकः 10.11.2023**

यह निगरानी अन्तर्गत धारा 84 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश विद्वान संभागीय आयुक्त, भरतपुर दिनांक 28–07–2006 अपील सं0 36/2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसमें विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपने आक्षेपित आदेश से अपील स्वीकार की जाकर अति0 जिला कलक्टर, डीग का आदेश दिनांक 30–01–2006 व नामान्तरकरण सं0 241 दिनांक 27–01–2003 निरस्त किये जाते हैं। नामान्तरकरण सं0 243 दिनांक 22–08–2003 प्रभावहीन होने से स्वतः ही समाप्त हो जाता है।

2– निगरानी पर योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी।

3– विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकॉर्ड होने से काबिल निरस्तनीय है। विद्वान अपीलीय न्यायालय का निर्णय स्पीकिंग आदेश नहीं है उन्होंने अपने निर्णय में कुछ भी निर्णित नहीं किया कि आराजी की किस स्थिति में रहेगी तथा नामान्तरकरण सं0 241 के निरस्त होने से नामान्तरकरण सं0 243 स्वतः ही प्रभावहीन होना मानते हुए अति0 जिलाधीश के निर्णय को निरस्त कर एक तरह से आराजी को मृतक अमर सिंह के नाम रख तात्विक अवैधता बरती है। कम्पूरी के नाम नामान्तरकरण सं0 241 दिनांक 27–01–2003 को खुला। कम्पूरी ने आराजी दिनांक 01–02–2003 को वैस्टर सैल डीड से बेची। जिसका नामान्तरकरण सं0 243 दिनांक 08–09–2003 को प्रार्थी के पक्ष में खुला। जमाबन्दी संवत् 2059 से 2062 में खातेदारी दर्ज हो गयी। लच्छों के नाबालिग वारिसों ने जरिये पिता एक दावा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, डीग के समक्ष प्रस्तुत किया तथा नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील पेश की जिसमें प्रार्थी पक्षकार बना तो अपीलार्थी ने आदेश 6 नियम 17 का प्रार्थना पत्र लगाकर हमारे नामान्तरकरण सं0 243 बाबत्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/एल.आर./5356/2006/भरतपुर** **गोविन्दसिंह बनाम विष्णु**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रिलीफ चाही। विद्वान अति0 जिला कलक्टर ने अपील खारिज की जिसके विरूद्ध विद्वान संभागीय आयुक्त, भरतपुर के समक्ष अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण निरस्त कर दिया जिसमें दो आदेशों की एक अपील चलने योग्य नहीं थी तथा अपीलांट की अपील मियाद बाहर थी। बेयनामा सक्षम न्यायालय से निरस्त करवाते। वर्तमान में नियमित वाद विचाराधीन है। आराजी का बेचान हो गया है जिन्हें पक्षकार नहीं बनाया तथा वारिसान की जांच नहीं की गयी है। मौखिक वसीयत मार्च 1998 की है। विद्वान संभागीय आयुक्त, भरतपुर का आक्षेपित आदेश नॉन स्पीकिंग है जबकि विद्वान अपीलीय न्यायालय को प्रकरण प्रतिप्रेषित करना चाहिए था। विद्वान अति0 जिला कलक्टर की पत्रावली में नामान्तरकरण सं0 243 संलग्न नहीं है, केवल आदेश 6 निमय 17 की दरख्वास्त से अपील को निरस्त नहीं करवा सकते हैं। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने आदेश 6 नियम 17 पर कोई निर्णय ही नहीं दिया। बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि धारा 5 जवाब विद्वान अति0 जिला कलक्टर में दिया। दावे में गोविन्दसिंह को पक्षकार बनाया था तथा अपील में जानबूझकर गोविन्दसिंह को पक्षकार नहीं बनाया। प्रार्थी आदेश 1 नियम 10 से पक्षकार बने। अधिकार दावे में तय होंगे। अतः प्रार्थी की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर विद्वान संभागीय आयुक्त, भरतपुर का निर्णय दिनांक 28-07-2006 निरस्त कर नामान्तरकरण बहाल रखा जाने का निवेदन किया। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में 2003 आर0आर0टी0 पेज 886, 1046, 1176, 1212, 2021 आर0आर0टी0 पेज 952, 2019 आर0आर0टी0 पेज 1555, 1983 आर0आर0डी0 पेज 811, 1984, आर0आर0डी0 पेज 906 एवं 2005 आर0बी0जे0 पेज 132 के न्याय दृष्टान्त पेश किये। 4- प्रत्युत्तर में योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस में कथन किया कि अप्रार्थीगण लच्छों के वारिसान है तथा विवादित आराजी में हमारा अधिकार था तथा हमारा नाम आना चाहिए था। हमने विद्वान अपीलीय न्यायालय में नामान्तरकरण की अपील पेश की जिसमें आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 की दरख्वास्त स्वीकार हुयी। आदेश 6 नियम 17 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र लगाया जिस पर अन्तिम बहस हुयी। विद्वान अति0 जिला कलक्टर, डीग ने हमारी अपील दिनांक 23-01-2006 को खारिज कर दी जिसके विरूद्ध विद्वान संभागीय आयुक्त, भरतपुर के समक्ष अपील पेश की जो उन्होंने	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/एल.आर./5356/2006/भरतपुर** **गोविन्दसिंह बनाम विष्णु**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपने आक्षेपित निर्णय दिनांक 28-07-2006 से सही स्वीकार की है। मियाद के बिन्दु पर विद्वान अति0 जिला कलक्टर में कोई ऐतराज नहीं किया तथा न ही जवाब दिया अब प्रार्थी ऐतराज नहीं उठा सकते है। विद्वान संभागीय आयुक्त ने अपने विस्तृत निर्णय में दोनों नामान्तरकरणों का हवाला दिया है। कम्पूरी को सम्पूर्ण आराजी बेचने का अधिकार नहीं था क्योंकि उसमें हमारा 1/3 हिस्सा था। यदि हिस्से से ज्यादा बेचान कर दिया हो तो रजिस्टर्ड सैलडीड शुन्य है। अतः विद्वान संभागीय आयुक्त का निर्णय सही होने से प्रार्थी की निगरानी खारिज की जावें। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में 2011 आर0आर0डी0 पेज 573, 2005 आर0आर0डी0 पेज 505 एवं 2015 आर0आर0टी0 पेज 773 के न्याय दृष्टान्त पेश किये गये। 5- हमने योग्य अधिवक्तागण द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का आद्योपान्त अध्ययन व अवलोकन किया। 6- विद्वान परीक्षण न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, डीग ने अपने निर्णय दिनांक 23-01-2006 में अंकित किया कि प्रस्तुत अपील अपीलांट खारिज की जाती है। 7- विद्वान संभागीय आयुक्त, भरतपुर ने अपने आक्षेपित निर्णय दिनांक 28-07-2006 में अंकित किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अति0 जिला कलक्टर, डीग का निर्णय दिनांक 30-01-2006 व नामान्तरकरण सं0 241 दिनांक 27-01-2003 निरस्त किये जाते हैं। नामान्तरकरण सं0 243 दिनांक 22-08-2003 प्रभावहीन होने से स्वतः ही समाप्त हो जाता है। 8- पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि मूल खातेदार अमरसिंह के मरने के बाद उसकी पत्नि कम्पूरी व दो पुत्रियां माया व लच्छों वारिसान थी तथा विरासत के आधार पर ही नामान्तरकरण सं0 241 पटवारी हल्का द्वारा भरा गया था। मूल खातेदार अमरसिंह के मरने के बाद उसकी एक पुत्री लच्छों का देहान्त हो गया तथा माया ने रिलीजडीड तहरीर करवा कर दे दी और इस आधार पर मु0 कम्पूरी के नाम नामान्तरकरण सं0 241 तस्दीक कर दिया गया। जब अमरसिंह के मरने के बाद उसकी एक पुत्री लच्छों का भी स्वर्गवास हो गया था तो कार्यवाही के दौरान लच्छों के वारिसान की भी जांच करनी चाहिए थी जो नहीं की गयी क्योंकि मृतक	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/एल.आर./5356/2006/भरतपुर** **गोविन्दसिंह बनाम विष्णु**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अमरसिंह के मरने के बाद मृतक लच्छों को भी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत विवादित आराजी में विरासतन हक प्राप्त चुके थे। मृतक लच्छों के अपीलांट पुत्र एवं पुत्रियां है, इस तथ्य से रेस्पो0 ने कहीं इन्कार भी नहीं किया। 9- विद्वान अति0 जिला कलक्टर, डीग ने अपीलांट्स की अपील को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया कि पक्षकारान के बीच सक्षम न्यायालय में दावा चल रहा है। दावा भी अपीलांट की ओर से दिनांक 01-03-2005 को प्रस्तुत किया गया है। तहत न्यायालय को नामान्तरकरण की कार्यवाही पर भी विवेचन करना चाहिए था। जिससे स्पष्ट है कि विद्वान न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, डीग का आदेश दिनांक 30-01-2006 व नामान्तरकरण सं0 241 दिनांक 27-01-2003 निरस्त किये जाने योग्य था। 10- विद्वान संभागीय आयुक्त, भरतपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 28-07-2006 द्वारा अपील स्वीकार कर विधिसम्मत् रूप से अति0 जिला कलक्टर, डीग का आदेश दिनांक 30-01-2006 व नामान्तरकरण सं0 241 दिनांक 27-01-2003 निरस्त किये गये है जिसके परिणामस्वरूप नामान्तरकरण सं0 243 दिनांक 28-08-2003 भी प्रभावहीन होने से स्वतः ही समाप्त हो जाता है। जहां तक निगरानी में प्रार्थी/निगराकार का यह कथन है कि विद्वान संभागीय आयुक्त, भरतपुर का निर्णय स्पीकिंग आदेश नहीं है। उन्होंने अपने निर्णय में कुछ भी निर्णित नहीं किया कि आराजी की क्या स्थिति रहेगी तथा नामान्तरकरण सं0 241 के निरस्त होने से नामान्तरकरण सं0 243 स्वतः ही प्रभावहीन होना मानते हुए अतिरिक्त जिलाधीश के निर्णय दिनांक 30-01-2006 (जो कि निर्णय दिनांक 23-01-2006 है) को निरस्त कर एक तरह से आराजी को मृतक अमरसिंह के नाम रख तात्विक अवैधता बरती है। 11- निगरानी के उक्त आधार के संबंध में पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि पक्षकारों के बीच उनके अधिकारों के निस्तारण के लिए विद्वान उपखण्ड अधिकारी, डीग के न्यायालय में दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी कानून विचाराधीन है। दावे के निर्णय अनुसार हक व अधिकार तय होगें जिसके आधार पर विवादग्रस्त आराजी का स्वत्व	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/एल.आर./5356/2006/भरतपुर** **गोविन्दसिंह बनाम विष्णु**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तय होगा। अतः उक्त आधार उचित नहीं है। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त प्रकरण के तथ्यों पर लागू नहीं होते हैं। 12- अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी की निगरानी स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है। 13- पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (सुरेन्द्र माहेश्वरी) सदस्य	